# HRA AN USIUS The Gazette of India

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2057] No. 2057। नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 5, 2010/आश्विन 13, 1932

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 5, 2010/ASVINA 13, 1932

**्रसड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** 

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2417(अ). केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 78 (अ) तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 46 के 0.00 कि.मी. से 145.352 कि.मी. (कृष्णागीरि-रानीपेट सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था :

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के 0.000 कि.मी. से 148.300 कि.मी. (कृष्णागीरि - वलाजपेट सेक्शन) (परियोजना चेनेज) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विद्यमान चार लेन वाले सेक्शन को छः लेन का बनाने, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स लारसन एण्ड ट्यूबरो (एल एण्ड टी) कृष्णागीरि वलाजपेट टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रिजस्ट्रीकृत कार्यालय पी. ओ.बाक्स संख्या 979, माउंट पूनममल्ली रोड़, मानापक्काम, चैन्नई - 600089 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ डिजाईन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण के आधार पर एक करार किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पिटत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विमाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 646 (अ) तारीख 3 मई, 2005, और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 129 (अ), तारीख 1 फरवरी, 2006, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए, फीस, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रकार पर

उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर उदगृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, समाप्ति की तारीख तक, उक्त फीस को संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

#### सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए
		प्रति एक ओर की यात्रा के लिए
		प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार
		फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान	1.05
	या मिनी बस	
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ	3.45
412	मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान	
	(ब.धु.य.) (तीन से छह धुरी)	الم المحافظ ال المحافظ المحافظ المحاف
5.	अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या	4.20
	अधिक धुरीय)	

2. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा ।

क्रम सं.	पथकर - प्लाजा का अवस्थान	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग - 46 पर 46.800 कि.मी.	73.00
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग - 46 पर 98.520 कि.मी.	75.35

- 3. शुल्क के भुगतान में छूट, अतिभारी वैंहनों के लिए शुल्क की दर, दर में छूट उक्त ीनयम के अनुसार किया जाएगा ।
- 4. किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर रियायतग्राही उसे 50 (पचास) या उससे अधिक एकतरफा टिकटों, के लिए रियायती मूल्य, यानों की प्रवर्ग के लिए जो की दो तिहाई शुल्क के बराबर होगा, जारी करेगा जो कि एक मास के लिए वैध होगें।
- 5. वाणिज्य परिचालन की तिथि के छः माह की अवधि तक पुनरीक्षित शुल्क पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । टिप्पण:-
- 6 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ,-
  - (i) "वास्तविक फीस" से उक्त सेक्शन के सड़क उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;

- (क) प्रत्येक फीस प्लाजा के लिए समनुदेशित परियोजना राजमार्ग की लम्बाई ;
- (ख) उपर्युक्त सारणी में दी गई आधार फीस सम्यक रूप से सूचीबद्ध और पांच रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी।
- (ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त सेक्शन के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच करार के अनुसार सभी पूर्ववर्ती शर्तों का समाधान करने के पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होता है।
- (iii) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उपर्युक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है।
- (iv) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और इसमें परिमाषित नहीं है किन्तु जो कि प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच में हुए करार में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में हैं।

[फा. स. भाराराप्रा/13013/554/10-11/सी.ओ./जीसी कृष्णागीरि-वलाजपेट बी.ओ.टी.]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS' NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2010

S.O. 2417(E).—Whereas, the Central Government by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as said Act, entrusted the stretches from Km 0.00 - Km 145.352 (Krishnagiri - Ranipet section) of National Highway No. 46 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Larsen and Toubro (L&T) Krishnagiri – Walajahpet Tollway Private Limited, having its registered office at P. O. Box No. 979, Mount Poonamalee Road, Manapakkam, Chennai – 600089 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing four lane section from Km 0.000 to Km 148.300 (Project chainage) (Krishnagiri – Walajahpet section) of the National Highway No. 46 in the State of Tamil Nadu (hereinafter referred to as the said section) to six lane divided carriageway on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 646 (E), dated the 3rd May, 2005 and S. O. 129 (E), dated the 1st February, 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on category of mechanical vehicles specified in column (2) of the

following Table, for the use of said section at the base rate specified in column (3) thereof, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the said Concession Agreement on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:--

Table

SI. No.	Type of Vehicle.	Base rate of fee per vehicle per km per one-way trip for base year 2007-08. (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
3.	Bus or Truck.	2.20
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle. (MAV) (three to six axles)	3.45
5	Oversized Vehicles. (seven or more axles)	4.20

2. The fee shall be collected at the following location of toll plazas for the distance specified against each Toll Plaza:

S. No.	Location of Toll Plaza.	Length (in km) for which Fee payable.
1	Km 46.800 of NH- 46	73.00
2	Km 98.520 of NH- 46	75.35

- 3. Exemption from payment of fee, rates of fee for overloaded vehicles, discounts in rates etc shall be in accordance with the said rules.
- 4. Upon request from any person for issue of 50 (fifty) or more one way tickets, the Concessionaire shall issue such tickets valid for a period of one month, at a discounted rate equivalent to two third of the fee payable for that category of vehicles.
- 5. The revision of fee shall not be effected until a period of six months has elapsed from the date of commercial operation.

### Note:

- 6. For the purpose of this notification,-
  - (i) "actual fee" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of-
    - (a) length of the project highway assigned to each fee plaza;
    - (b) base fee rates provided in the above Table duly indexed, and shall be rounded off to nearest Five rupee;
  - (ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after satisfying all conditions precedent in accordance with the said agreement;
  - (iii) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;
  - (iv) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said agreement.

[F. No. NHAI/13013/554/10-11/CO/GC Krishnagiri-Walajahpet BOT] S. NARENDRA, Director